न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 19.06.2024

मु.नं. 03/2024 GCMS NO. 2024/3

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का खारबारा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (प्रार्थी)

बनाम

खीयाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल साकिन चक 6 डी.एल खारबारा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर। (अप्रार्थी)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खारबारा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी ने चक 6 डीएल के मुरब्बा नम्बर 130/27 के किला नम्बर 25/1 में 5x5=25 वर्गफीट स्नानघर बिना छत का, 10x20=200 वर्गफीट गायो का कच्चा बाडा, 10x10=100 वर्गफीट पशुओ का चारा, 2x10=20 वर्गफीट पशुओ का पक्का बाडा इस प्रकार कुल तादादी 345 वर्गफीट कमाण्ड गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर कृषि सम्वत् 2080 फसल खरीफ में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, सीमाज्ञान के अभाव में भूलवंश गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण हो गया है, अतिचार की कार्यवाही में माफी दी जावे तथा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा, अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू–राजस्व का 50 गुना 346/– अक्षरे तीन सौ छियालीस रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। भू.अ.निरीक्षक, पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि चक 6 डीएल के मुरब्बा नम्बर 130/27 के किला नम्बर 25/1 में 5x5=25 वर्गफीट स्नानघर बिना छत का, 10x20=200 वर्गफीट गायो का कच्चा बाडा, 10x10=100 वर्गफीट पशुओ का चारा, 2x10=20 वर्गफीट पशुओ का पक्का बाडा इस प्रकार कुल तादादी 345 वर्गफीट कमाण्ड गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण हटाकर, रास्ता खुलवाकर, अप्रार्थी को बेदखल कर फर्द मौका रिपोर्ट मय बेदखली प्रस्तुत करे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को अप्रार्थी से शास्ति वसूल करने एवं मौके से बेदखली बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमारी)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छत्तरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner